

ये विवरण एच0के0सी0एल0 को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग , हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर लागू करने हेतु भेजे जाने हैं जो निम्न प्रकार हैं:-

“कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

गन्ना तकनीकी उद्देश्य परियोजना (Technology Mission on Sugarcane) के तहत कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में गन्ने की नोटिफाईड/सिफारिश की गई किस्मों को Promotion of Wide Row with intercropping, Promotion of wide row spacing method of Cultivation, Single Bud Plantation, Trash mulching , Ring Pit Method of plantation, Seed Nursery and Seed treatment विधियों से गन्ने की बिजाई करते हुए प्रदर्शन-प्लाट लगाने हेतु सहायक गन्ना विकास अधिकारी, यमुनानगर, नारायणगढ़, शाहाबाद, करनाल, असंध, भादसों, पानीपत, कैथल, रोहतक, सोनीपत, जीन्द, पलवल, भूना, गोहाना व महम के क्षेत्र के किसानों को अनुदान/सहायता राशि दी जानी है। उक्त विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन-प्लाट लगाने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा की वेबसाइट www.agriharyana.gov.in में Agri Scheme Governance link पर अपना आवेदन दिनांक 31.10.2021 तक कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी एवं आवश्यक दिशा-निर्देश वेबसाइट www.agriharyana.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

(आवेदन करने से पहले विशेष दिशा-निर्देश अवश्य पढ़ लेवें।)

Technology Mission on Sugarcane योजना 2021-22 के तहत Promotion of Wide Row with intercropping, Promotion of wide row spacing method of Cultivation, Single Bud Plantation, Trash mulching, Ring Pit Method, Seed Nursery and Seed treatment विधियों से गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु अनुदान/सहायता राशि हेतु प्रार्थना पत्र।

1	किसान का नाम:-
2	पिता/पति का नाम:-
3	माता का नाम:-
4	श्रेणी (सामान्य/पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति):-
5	आधार कार्ड संख्या:-
6	मतदाता पहचान कार्ड संख्या:-
7	पता:- क) गांव:- ग) तहसील:- ड) पिन कोड:- ख) खण्ड:- घ) जिला:- च) मोबाईल नं०:-
8	जमीन का विवरण (कुल रकबा):-
9	गन्ने का बिजाई क्षेत्र (एकड़ में):-
10	किसी एक मद में पात्रता /नियम व शर्तें अनुसार आवेदन करे। 1. Promotion of Wide Row with intercropping(Acre): 2. Promotion of wide row spacing method of Cultivation(Acre): 3. Single Bud Plantation Method(Acre): 4. Trash mulching (Acre): 5. Ring Pit Method (Acre). 6. Seed Nursery and Seed treatment
11	सह फसल का नाम:-
12	सहायक गन्ना विकास अधिकारी का नाम:-
13	बैंक खाते का विवरण:- (क) बैंक का नाम:- (ख) ब्रांच का नाम:- (ग) खाता संख्या:- (घ) IFSC कोड:-

तिथि:-

किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह

किसानों हेतु विशेष दिशा-निर्देश:-

1. Promotion of Wide Row with intercropping & Promotion of wide row spacing method of Cultivation विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3600 रुपये प्रति एकड़ तथा 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
2. Single bud plantation method विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
3. Trash mulching विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
4. गढा विधि से बिजाई (Ring Pit Method) के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के समय प्रयोग आने वाली मशीन के किराए, मजदूरी व्यय व कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु किसान को 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
5. “बीज नर्सरी” लगाने हेतु 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। किसानों द्वारा “बीज नर्सरी” हेतु प्रयोग में लाया गया गन्ने का बीज Moist Hot Air तथा फंफूदीनाशक से उपचारित किया जाना आवश्यक है तथा किसानों द्वारा उक्त नर्सरी हेतु गन्ने की बिजाई क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक (गन्ना अनुसंधान केन्द्र, सी0सी0एस0 एच0ए0यू0 उदानी या कृषि विज्ञान केन्द्र के)/सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/ गन्ना प्रबन्धक दीनी मिल/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की उपस्थिति में की जाएगी। सीड ट्रीटमेंट ड्रम खरीदने हेतु 2000 रुपये प्रति ड्रम की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
6. यदि किसी किसान के पास “Seed Treatment Drum” उपलब्ध नहीं है तो उस अवस्था में इच्छुक किसान को 2000 रुपये या वास्तविक खरीद मूल्य, जो भी कम हो, प्रति ड्रम की दर से बीज को फंफूदीनाशक से उपचारित करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। हालांकि यह सुविधा एक ड्रम प्रति किसान की दर से केवल उन्हीं इच्छुक किसानों को प्रदान की जाएगी जो बीज नर्सरी के लिए वैरीफिकेशन उपरान्त चुने जाएंगे। बीज उपचार हेतु ‘ड्रम’ किसान द्वारा खरीदा जाएगा तथा उसकी रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी/फर्म को सहायक गन्ना विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. एक किसान को किसी एक मद (उपरोक्त क0स0 1 से 5) के अन्तर्गत अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र का प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु सहायता राशि (मशीन किराया/मजदूरी व्यय/कृषि सामग्री हेतु) प्रदान की जाएगी।
8. उपरोक्त सहायता गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
9. उक्त विधियों से गन्ने की खेती के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के प्रयोग के लिए मशीन किराए, मजदूरी व्यय तथा कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु उक्त मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा

verification उपरान्त डी0बी0टी0 के द्वारा सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी/एन0जी0ओ0 तथा CCS HAU, and IFICO & KRIBHCO का राज्य में किसी भी लाईसैंस धारक/Authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10. योजना "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी।
11. आवेदन स्वीकार्य होने उपरान्त 10 दिन के भीतर सम्बन्धित किसान को कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी अन्यथा अगले पात्र किसान को सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
12. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन-प्लॉट क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देख-रेख में लगाए जाएंगे।
13. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
 - (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
 - (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
14. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि **31-10-2021** है। लक्ष्य पुरे न होने पर किसान ऑफलाईन आवेदन करने हेतु अपना प्रार्थना पत्र संबंधित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) /सहायक गन्ना विकास अधिकारी को **30.11.2021** तक जमा करवा सकते हैं।
15. Promotion of Wide Row with intercropping, Promotion of wide row spacing method of Cultivation, Single Bud Plantation Method, Trash mulching, Ring Pit Method, Seed Nursery and Seed Treatment Drum मदो के अन्तर्गत लगाए जाने वाले प्रदर्शन प्लॉटो के सहायक गन्ना विकास अधिकारी वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार से है:



ACDO Wise allocation of Physical and Financial Target under TMS scheme for the year 2021-22

Sr.No.	Name of ACDO	Promotion of wide row with intercropping @ Rs. 3600/- per acre		Promotion of wide row spacing method of cultivation @ Rs. 3000/- per acre		Single bud plantation method @ Rs. 3000/- per acre		Trash mulching @ Rs. 500/- per acre		Ring Pit Method of Plantation @ Rs. 10,000/- per acre		Seed Nursery @ 5000/- per acre	
		Phy. (acre)	Fin. (Rs. in lac)	Phy. (acre)	Fin. (Rs. in lac)	Phy. (acre)	Fin.(Rs. in lac)	Phy. (acre)	Fin.(Rs. in lac)	Phy. (nos)	Fin. (Rs. in lac)	Phy.(In Nos)	FIN.(Rs. in lac)
1	Panipat	350	12.60	450	13.5	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
2	Rohtak	350	12.60	1000	30	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
3	Karnal	350	12.60	450	13.5	60	1.80	350	1.75	2	0.20	150	7.5
4	Sonipat	200	7.20	350	10.5	60	1.80	300	1.5	1	0.10	140	7
5	Shahabad	300	10.80	300	9	60	1.80	350	1.75	1	0.10	130	6.5
6	Jind	350	12.60	200	6	60	1.80	350	1.75	1	0.10	130	6.5
7	Palwal	125	4.50	150	4.5	25	0.75	300	1.5	1	0.10	120	6
8	Meham	350	12.60	200	6	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
9	Kaithal	450	16.20	400	12	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
10	Gohana	150	5.40	200	6	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
11	Assandh	400	14.40	200	6	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
12	Y.Nagar	800	28.80	2300	69	240	7.20	800	4	5	0.50	150	7.5
13	Bhadson	400	14.40	200	6	60	1.80	300	1.5	1	0.10	130	6.5
14	Naraingahr.	300	10.80	200	6	60	1.80	300	1.5	1	0.10	150	7.5
15	Bhuna	125	4.50	400	12	15	0.45	150	0.75	1	0.10	120	6
Total		5000	180	7000	210	1000	30	5000	25	20	2	2000	100

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि अधिकारी/उपमण्डल कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

A

Subject:- Online implementation of TMS scheme for the year 2021-22.

1. Section in which scheme is activate: Crop Demonstration
Scheme Name:- Technology Mission on Sugarcane.
2. Program Name which needs to be activated:
3. Demonstration :-
 - i. Promotion of wide row with intercropping
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation
 - iii. Single Bud plantation method
 - iv. Trash Mulching
 - v. Ring pit method of plantation
 - vi. Seed Nursery and Seed treatment
4. Financial Year:-2021-22
5. Start Date:- 20.08.2021
6. End Date. :- 31.10.2021
7. Total Area allocated :-
 - i. Promotion of wide row with intercropping (in acre)-5000
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation (in acre)-
7000
 - iii. Single Bud plantation method (acre)- 1000
 - iv. Trash Mulching (acre)-5000
 - v. Ring pit method of plantation (acre)-20
 - vi. Seed Nursury (acre)- 2000
8. Unit (Area Unit):- 1 Acre
9. Total fund allocated (INR):
 - i. Promotion of wide row with intercropping-Rs.180 lakh
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation. Rs. 210 lakh
 - iii. Single Bud plantation method - Rs.30 lakh
 - iv. Trash Mulching -Rs. 25 lakh
 - v. Ring pit method of plantation-Rs. 2 lakh
 - vi. Seed Nursury- Rs. 100 lakh

10. Assistance :-

- i. Promotion of wide row spacing with intercropping-Rs.3600/-acre
 - ii. Promotion of wide row spacing method of cultivation. Rs. 3000/-acre
 - iii. Single Bud plantation method - Rs.3000/-acre
 - iv. Trash Mulching -Rs. 500/- acre
 - v. Ring pit method of plantation-Rs. 10000/- acre
 - vi. Seed Nursery- Rs. 5000/- acre
11. Max Area Limit:-2 acre
12. Extent Days (if any optional):-Nil
13. Guidelines (PDF only):-

किसानों हेतु विशेष दिशा-निर्देश:-

1. Promotion of Wide Row with intercropping&Promotion of wide row spacing method of Cultivation विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3600 रुपये प्रति एकड़ तथा 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
2. Single bud plantation method विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने तथा बिजाई हेतु प्रयोग में आने वाली मशीन के किराए व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 3000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
3. Trash mulching विधि से प्रदर्शन प्लांट लगाने व कृषि सामग्री की खरीद हेतु 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।
4. गढा विधि से बिजाई (Ring Pit Method) के प्रदर्शन प्लाट लगाने हेतु बिजाई के समय प्रयोग आने वाली मशीन के किराए, मजदूरी व्यय व कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु किसान को 10000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
5. "बीज नर्सरी" लगाने हेतु 5000 रुपये प्रति एकड़ की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी। किसानों द्वारा "बीज नर्सरी" हेतु प्रयोग में लाया गया गन्ने का बीज Moist Hot Air तथा फंफूदीनाशक से उपचारित किया जाना आवश्यक है तथा किसानों द्वारा उक्त नर्सरी हेतु गन्ने की बिजाई क्षेत्र के कृषि वैज्ञानिक (गन्ना अनुसंधान केन्द्र, सी0सी0एस10 एच0ए0यू0 उचानी या कृषि विज्ञान केन्द्र के)/सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/गन्ना प्रबन्धक चीनी मिल/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की उपस्थिति में की जाएगी। सीड ट्रीटमेंट ड्रम खरीदने हेतु 2000 रुपये प्रति ड्रम की दर से अनुदान/सहायता राशि किसानों को दी जाएगी।

6. यदि किसी किसान के पास "Seed Treatment Drum" उपलब्ध नहीं है तो उस अवस्था में इच्छुक किसान को 2000 रुपये या वास्तविक खरीद मूल्य, जो भी कम हो, प्रति ड्रम की दर से बीज को फंफूदनाशक से उपचारित करने हेतु अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे। हालांकि यह सुविधा एक ड्रम प्रति किसान की दर से केवल उन्हीं इच्छुक किसानों को प्रदान की जाएगी जो बीज नर्सरी के लिए वैरीफिकेशन उपरान्त चुने जाएंगे। बीज उपचार हेतु 'ड्रम' किसान द्वारा खरीदा जाएगा तथा उसकी रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थी/फर्म को सहायक गन्ना विकास अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
7. एक किसान को किसी एक मद (उपरोक्त क0स0 1 से 5) के अन्तर्गत अधिकतम दो एकड़ क्षेत्र का प्रदर्शन प्लॉट लगाने हेतु सहायता राशि (मशीन किराया/मजदूरी व्यय/कृषि सामग्री हेतु) प्रदान की जाएगी।
8. उपरोक्त सहायता गन्ने की नोटिफाईड/रिकमण्डेड किस्मों की बिजाई पर ही दिया जाएगा।
9. उक्त विधियों से से गन्ने की खेती के प्रदर्शन प्लॉट लगाने हेतु बिजाई के प्रयोग के लिए मशीन किराए, मजदूरी व्यय तथा कृषि सामग्री की खरीद आदि हेतु उक्त मदों के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि की रसीद किसान द्वारा सम्बन्धित सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) के कार्यालय में जमा कराई जाएगी तथा कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा verification उपरान्त डी0बी0टी0 के द्वारा सम्बन्धित किसान को उपलब्ध कराई जाएगी। किसान राज्य में सरकारी/अर्धसरकारी/एन0जी0ओ0 तथा CCS HAU, and IFFCO & KRIBHCO या राज्य में किसी भी लाईसेंस धारक/Authorized dealer से कृषि सामग्री चुनने के लिए स्वतंत्र होंगे।
10. योजना "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर लागू की जाएगी।
11. आवेदन स्वीकार्य होने उपरान्त 10 दिन के भीतर सम्बन्धित किसान को कृषि सामग्री की खरीद करनी होगी अन्यथा अगले पात्र किसान को सहायक गन्ना विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) द्वारा राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
12. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने कृषि विकास अधिकारी (गन्ना)/सहायक गन्ना विकास अधिकारी से सम्पर्क करें तथा प्रदर्शन-प्लॉट क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी (गन्ना) की देख-रेख में लगाए जाएंगे।
13. प्रदर्शनों के संचालन के कार्यान्वयन के लिए लाभार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रता मानदंड होने चाहिए:-
 - (अ) वह फसल अवशेषों को जलाने का दोषी ना हो।
 - (ब) वह मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
14. ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31-10-2021 है।

15. Notification (PDF only)
14. Certificate required
(if any Certificate is required from
farmer for applying this scheme):-
Aadhar Card, Voter Card, Mobile Number.
15. Activation date with time:-
16. Is there any limit on application coming from farmer side
Yes provide amount or percentage:-

